



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

डीडीयूजीजेवाई 12 वें प्लान में स्वीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य समय पर हो

— पुष्पेन्द्र सिंह

जयपुर, 25 अगस्त। डीडीयूजीजेवाई 12 वें प्लान के अन्तर्गत अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए जिन ठेकेदारों को कान्ट्रैक्ट अवार्ड दिए जा चुके हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विद्युत भवन में आयोजित बैठक में कार्य के समय पर पूरा करने के बारे में चर्चा की।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई 12 वें प्लान में प्रदेश के गांव व ढाणियों को विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण का कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले 90 प्रतिशत अनुदान का उपयोग कर आमजन को इसका फायदा पहुंचाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित ठेकेदारों के प्रतिनिधियों को कहा कि इसमें जो भी समस्या आए उसे निगम के अधिकारियों से मिलकर उसका हल निकालें।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि कार्य निर्धारित समय पर होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए तथा कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ठेकेदारों के प्रतिनिधियों को कहा कि दिए गए कार्य को देर से करने पर आपको भी नुकसान होता है क्योंकि कार्य का खर्चा बढ़ जाता है। इसके साथ ही समय पर कार्य नहीं होने पर इसका अच्छा संदेश भी नहीं जाता है।

उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत होने वाले कार्य की प्रगति की हर माह समीक्षा की जाएगी एवं मासिक कार्य की प्रगति की जानकारी ली जाएगी। श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि डीडीयूजीजेवाई 12 वें प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य यदि समय पर पूरा होगा तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो ठेकेदार इस योजना के कार्य समय पर पूरा नहीं करेंगे उन्हें आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई की योजनाओं में कार्य के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस योजना के तहत जैसे जैसे सर्वे का कार्य होता जावे वैसे वैसे कार्य भी करते जाना चाहिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अलग से टीम बना दी जावे जिसमें अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के अधिकारी हों। उन्होंने कहा कि इसमें ओ एण्ड एम के अधिकारियों के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ढाणी या बीपीएल सर्वे में छूट नहीं जावे।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने कहा कि इस योजना के तहत जितने भी गांवों को शामिल करना है उनको 3 फेज में बांटे तथा समयबद्ध तरिके से प्रथम फेज के गांवों का संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए।